उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–186/सत्तर–1–2017–11(21)/2005 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतएव अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2017 तक के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2– उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

Notification-Genral/s.o.k-3